

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0-गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

सं0 189(4)/09/डी0आर0/सेवा-02/2013-14

हरिद्वार :: दिनांक :: 24 अगस्त, 2016

अनर्ह सूची

कर एवं राजस्व निरीक्षक (शहरी विकास विभाग)

विज्ञापन संख्या- 03/विज्ञापन/सेवा-02/2015-16, दिनांक 23 जून, 2015 के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 18 फरवरी, 2016 के परिणाम दिनांक 20 मई, 2016 में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थी को नाम के सम्मुख अंकित कारण से अनर्ह घोषित किया गया है :-

S.No	Roll No.	Name	Cause of Rejection
01.	500544	SANTOSH KUMAR PATHAK	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के कॉलम Validity Date in Employment Office में सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 06.02.2018 तक वैध होने का दावा किया गया है, किन्तु आयोग को उपलब्ध कराए गए सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में प्रमाण-पत्र दिनांक 02/2015 तक ही वैध होने की पुष्टि होती है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गये दावे की संलग्न प्रमाण-पत्र से पुष्टि न होने के कारण अनर्ह।

उक्त के संबंध में अभ्यर्थी दिनांक 02 सितम्बर, 2016 तक सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(एस.एन. पाण्डे)
23.08.2016
सचिव